

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के संबंध में इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि या तो इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए अथवा इसे शतप्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक प्रदान की जा चुकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हाँ। लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने या विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) और (ग) लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक अधिनियम द्वारा की गई है। नीति के तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सीधे वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल इन्हीं विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ स्थापित की हैं तथा निर्धारित न्यूनतम संख्या में अध्यापन व गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति की है व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों और उसके अधीन अधिसूचित विनियमों के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तें पूरी की हों।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

3905. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन करने हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है और इस संबंध में संशोधन विधेयक को संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) मई 1990 में सरकार ने

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में संशोधन के लिए विधान को मसौदा तैयार करने के वास्ते एक प्रारूप समिति का गठन किया था। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुरोध पर प्रारूप समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के पास विचारार्थ भेज दी गई थी। कार्यकारी परिषद के विचार अभी-अभी प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

#### देश में संस्कृत विश्वविद्यालय

3906. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा कोई संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में कोई संस्कृत विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सिद्धान्त रूप से श्रृंगेरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। संस्थागत ढांचे तैयार किए जाएंगे जो कुछ समय बाद विश्वविद्यालय में विकसित हो जाएंगे।

#### Computer courses in Kendriya Vidyalaya

3907. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether in order to start computer courses in some Kendriya Vidyalayas during 1992-93, some fee was collected from the students in February, 1992;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the said courses have since been started in any of the Vidyalayas during 1992-93;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(e) whether Government propose to

take steps to ensure introduction of the course during academic session 1993-94; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) Some computer firms offered a scheme of computer literacy to Kendriya Vidyalaya students on a voluntary basis. Under the scheme, the premises of Kendriya Vidyalayas after class hours, computer literacy could be taught by the firms to students who volunteer to pay some fees to the firm. Students of the following Kendriya Vidyalayas in Delhi have paid fees in advance to avail of the scheme:

1. Shalimarbagh
2. R.K. Puram, Sector-VIII
3. R.K. Puram, Sector-II
4. R.K. Puram, Sector-IV
5. No. 2, Delhi Cantt.
6. Tagore Garden.
7. Janakpuri
8. Andrewsganj
9. Gole Market
10. INA Colony.

(c) No, Sir.

(d) to (f) The details are in the process of finalisation by the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

#### **Pay Fixation of Kendriya Vidyalayas Teachers**

3908. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fixation of pay of teachers of Kendriya Vidyalayas in senior scale admissible to them w.e.f. 1st January, 1986 has not yet been done in Delhi and some other regions; and

(b) if so, the details thereof and by when it is likely to be done?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) Senior Scale is admissible to eligible teachers after completion of 12 years of regular service and as such, fixation of pay in Senior Scale from the applicable date is a continuing process. All the Assistant Commissioners of Regional Offices, including Delhi, are empowered to grant the senior scale, fix the pay as and when teacher of their regions become eligible.

#### **Admission Under Special Dispensation Scheme**

3909. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the in-take of students under different eligible categories in Kendriya Vidyalayas during the current academic session and in the preceding session;

(b) what is the total number of students granted admission under special Dispensation Scheme during the above sessions, class and Vidyalaya-wise;

(c) whether this number conforms to the recommendations made by Malini Bhattacharya Committee; and

(d) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

#### **Other Backward Classes in the Country**

3910. SHRI P. UPENDRA:

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

SHRI SARADA MOHANTY:

SHRI SHANKAR DAYAL

SINGH:

SHRIMATI MIRA DAS: